DEO - Grade 'A' & 'B' - New RRs

(iii) ability to apply quantitative techniques; and

(iv) holding analogous posts on regular basis or with atleast two years' regular service in the Level 15 (Rs.182200-224100) of the Pay Matrix; **or**

(III) Persons possessing the following educational qualifications and experience —

(i) Ph. D. in Agricultural Economics or Agricultural Statistics from a recognised University;

(ii) twenty years of teaching or research experience and evidence of extensive research work on different aspects of agriculture including agricultural trade policy;

(iii) ability to apply quantitative techniques; and

(iv) must have published at least five technical papers or work on agriculture prices, marketing or trade policy related to Agriculture in reputed journal.

(IV) The Selection shall be made by a Search-cum-Selection Committee.

Eligibility of Age, mode of appointment and period of appointment:

(V) Persons up to 56 years of age on the date of closing of application seeking deputation and completing term on retirement on superannuation or for a maximum period of deputation of five years, whichever is earlier; and

(VI) Persons up to 59 years of age on the date of closing of application seeking short-term (three years) contract.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
The selection shall be made by a Search-cum-Selection Committee.	Not applicable

[F. No. A-12018/1/2014-EA]

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय मे आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क'	11* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उतीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य कारणों से